प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक- 17.02.2025

थाना गौर पुलिस व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में ATM तोड़कर चोरी करने का प्रयास व नगरों में नकबजनी करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार-

थाना गौर पुलिस व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में बभनान बाजार में ATM तोड़कर चोरी करने का प्रयास व नगरों में नकबजनी की घटना करने वाले अभियुक्त 1. सलमान पुत्र राज मोहम्मद निवासी सुभाष नगर निकट फलमण्डी हरैया तिराहा बभनान थाना गौर, जनपद बस्ती उम्र- 29 वर्ष को आज दिनांक 17.02.2025 को रात्रि समय 02.25 बजे मेहदिया रामदत्त से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद लोहे का रॉड, 01 अदद लोहे का सरौता, नगद रू0 380/- व अन्य सामान बरामद किया गया। अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौर से रेफर कर जिला अस्पताल बस्ती में चल रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना गौर जनपद बस्ती पर चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 18/2025 धारा 331(4), 305A B.N.S. पंजीकृत था, जिसमें बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) B.N.S की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त का पुलिस पर अवैध असलहे से जान से मारने की नीयत से की गयी फायरिंग के अपराध में मु0अ0सं0 20/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म एक्ट भी पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सलमान पुत्र राज मोहम्मद निवासी सुभाष नगर निकट फलमण्डी हरैया तिराहा बभनान थाना गौर, जनपद बस्ती उम्र- 29 वर्ष |

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 17.02.2025 को समय 02.25 बजे, मेहदिया रामदत्त से

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 85/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गौर, जनपद बस्ती।
2. मु0अ0सं0 151/2022 धारा 379/411 IPC, थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।
3. मु0अ0सं0 12/25 धारा 331(4), 305A बीएनएस थाना गौर, जनपद बस्ती।
4. मु0अ0सं0 14/25 धारा 331(4), 305A बीएनएस, थाना गौर, जनपद बस्ती।
5. मु0अ0सं0 18/2025 धारा 331(4), 305A बीएनएस थाना गौर, जनपद बस्ती।
6. मु0अ0सं0 20/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म एक्ट थाना गौर, जनपद बस्ती

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10/11.02.2025 को बभनान बाजार में पान की गिमटी व टेन्ट की दुकान में चोरी हुई थी तथा एटीएम तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया था व गौर थाना क्षेत्र में जो अन्य चोरियां भी हुई थी, जिसके सम्बन्ध में क्रमशः मु0अ0सं0 12/25 धारा 331(4), 305A बीएनएस, मु0अ0सं0 14/25 धारा 331(4), 305A बीएनएस व मु0अ0सं0 18/2025 धारा 331(4), 305A बीएनएस थाना गौर, जनपद बस्ती पंजीकृत कर सरगर्मी में चोरों की तलाश हेतु टीमें बनाकर कार्यवाही की जा रही थी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करने व आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा फायर से घायल अभियुक्त के पकड़े जाने पर भागने व गोली चलाने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब मैने व मेरे साथी प्रवेश सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी पुरा पैकोलिया थाना पैकोलिया, जनपद बस्ती ने मिलकर दिनांक 10/11-11 फरवरी की रात में बभनान बाजार में एक टेंट हाउस की दुकान पर गए थे, जंहा पर मेरा साथी दुकान में अन्दर जाकर चोरी किया था और मैं दुकान में बाहर था। जहां से हमे लगभग 800 रुपए मिले थे और उसी रात एक पान की गुमटी में चोरी किए थे जहां से हम लोगों को लगभग 300 रुपए व दुकान का सामान गुटखा सिगरेट आदि चोरी कर लिए थे। हम लोगो को और पैसे की चोरी करनी थी जिसके लिए मैंने व मेरे साथी प्रवेश ने मिलकर दुकान के बगल में ही एक एटीएम को तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया लेकिन तोड़ फोड़ की आवाज को सुनकर कुछ लोग मौके पर आ गए जिनकों देखकर हम दोनो लोग वहां से भाग गए । वहां से भागकर हम लोग नहर के पास एक खेत के पास रुके जहां पर चोरी किए गए पैसों को आपस में बांट लिया था और गुमटी का चोरी किया सामान मेरे बैग में था। पुलिस व बभनान के लोग हम लोगों को ढूंढने लगे तो हम लोग यह देखकर अलग अलग भाग गए। मैं उस दिन से भागकर गोण्डा में चला गया था और वही पर छुप छुपाकर रह रहा था तथा प्रवेश कहीं और भाग गया था जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। साहब पहले भी मैने और प्रवेश ने मिलकर पिछले महीने पुरुषोत्तमपुर में एक घर में घुसकर चोरी किया थे और पौनी सुचित में भी चैनल का ताला तोड़कर घर में घुसकर जेवर व वाशिंग मशीन चोरी किए थे। वाशिंग मशीन को राह चलते कबाड़ी के हाथ 500रू में बेच दिए थे और पिछले महीने चोरी किए दोनो घरों में मिले सोने चांदी के जेवर नेपाल में ले जाकर 54000 में बेच दिए थे और आधा आधा रुपया बांट कर ले लिए थे। मेरे हिस्से में मिला रुपया खर्च हो गया है। आज जो पैसा मेरे पास से मिला वह दिनांक 10/11.02.2025 की रात की चोरी के हिस्से में से बचा पैसा है। आज मेरे पैसे खत्म हो रहे थे इसलिए वापस मैं चोरी करने आ रहा था कि तभी आप लोगो ने घेर लिया। अब चोरी व अपराध नहीं करूंगा माफ कर दिजिए। नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष गौर उ0नि0 गजेन्द्र प्रताप सिंह जनपद बस्ती।
2. प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 संतोष कुमार, जनपद बस्ती।
3. चौकी प्रभारी बभनान उ0नि0 अनन्त कुमार मिश्र, थाना गौर, जनपद बस्ती।
4. हे0का0 अवनीश सिंह हे0का0 पवन तिवारी का0 शुभेन्दु तिवारी , का0 किशन सिंह व का0 अभिलाष प्रताप सिंह स्वाट टीम बस्ती।
5. हे0का0 रविन्द्र सिंह, हे0का0 धीरज यादव, का0 देवेन्द्र निषाद, का0 चन्द्र प्रकाश शुक्ला, थाना गौर, जनपद बस्ती।